न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
017/2022(रा.अ.) (GCMS 2022/193)	27.06.2022	23.10.2024

अनवान

1. गजराजसिंह पिता हिम्मतसिंह राजपूत उम्र 70 वर्ष पेशा काश्त निवासी ओरडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. गोविन्दसिंह पिता हिम्मतसिंह राजपूत उम्र 60 वर्ष पेशा काश्त निवासी ओरडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. पर्वतसिंह पिता हिम्मतसिंह राजपूत उम्र 65 वर्ष पेशा काश्त निवासी ओरडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. मनोहर सिंह पिता मोडसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी ओरडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

प्रत्यर्थीगण

प्रथम अपील विरूद्ध तहसीलदार चित्तौड़गढ़ बमामले प्रकरण संख्या 001/2022 प्रा.पत्र निर्णय दिनांक 21.06.2022

उपस्थिति :–	दिनेश दायमा	अपीलार्थीगण
	खुमराज कुमावत, रतन कुमावत	प्रत्यर्थी संख्या 1
	भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)	प्रत्यर्थी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा बमिसल कमांक 001/2022 प्रार्थना–पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 21.06.2022 पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ के यहां अपीलार्थीगण को अतिक्रमी आक्षेपित करते हुए ग्राम ओरडी पटवार हल्का जालमपुरा में अवस्थित आराजी नंबर 139 आम रास्ता पर अतिक्रमण करने का कथन अंकित करते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसके आधार पर अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 06.06.2022 को क्रमांक संख्या 785 के रूप में सूचना–पत्र अपीलार्थीगण को प्रेषित किया,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बाद तामील अपीलार्थीगण को प्रेषित किया, बाद तामील अपीलार्थीगण द्वारा नोटिस का प्रत्युत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के प्रस्तुत कर शिकायतकर्ता का आवेदन–पत्र पर कार्यवाही ड्रोप करते हुए निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया, अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई अपीलार्थीगण को अतिक्रमण का दोषी कायम करते हुए पक्के निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया जिससे असंतुष्ट होकर माननीय न्यायालय में अपील पेश है। अधीनस्थ न्यायायल का निर्णय न्याय एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होकर निरस्त योग्य है।

इस पर अपील अपीलार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया, एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 की और से दिनांक 13.07.2022 को उनके अधिवक्ता हाजिर जाये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रत्यर्थी संख्या 2 की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आयें। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/भू0अ0/2022/1083 दिनांक 11.07.2022 से प्रकरण में मूल अभिलेख प्राप्त हुआ है जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 26.07.2022 को प्रत्यर्थी संख्या 1 की और से आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रालवी होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 11.01.2023 को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 विड्रो किया गया। दिनांक 26.07.2022 को प्रत्यर्थी संख्या 1 की और से प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 05 जा0दी0 पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 11.01.2023 को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा लिखित बहस पेश की गई जो कि शामिल पत्रालवी होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 18.01.2023 को अपीलार्थी की और से प्रार्थना–पत्र आदेश 26 नियम 09 जा0दी0 का पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस प्रार्थना–पत्र की गई। दिनांक 18.01.2023 को अपीलार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 26 नियम 09 जा0दी0 को खारीज किया जाकर निस्तारित किया गया। दिनांक 07.02.2023 को अपीलार्थी की और से प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 25.07.2023 को प्रत्यर्थी संख्या 1 का जवाब प्रार्थना–पत्र बंद किया गया। प्रकरण में प्रार्थी की और से लिखित बहस पेश की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा की गई मौखिक बहस पत्रावली को सुना गया।

हस्तगत अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र दिनांक 07.02.2023 पर बहस प्रार्थना–पत्र को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रकरण विचाराधीन है जिससे हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही स्थगित की जावें। इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रार्थना–पत्र का विरोध करते बताया कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान में प्रकरण संख्या 643/2023 मुन्तकिली प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.07.2023 से निस्तारित किया जा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चुका है एवं प्रकरण संख्या 653/2023 निगरानी वास्ते एडमिशन लम्बित है एवं प्रकरण में किसी भी प्रकार से कोई स्थगन आदेश नहीं है, अतः प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र का चिंतन–मनन किया। हस्तगत प्रकरण को अन्य दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत् प्रार्थना–पत्र प्रकरण संख्या 643/2023 निर्णय दिनांक 18.07.2023 से माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा निस्तारित किया जा चुका है। जिसे उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही न्यायालय आदेश दिनांक 18.01.2023 को विरूद्ध अपीलार्थीगण की और से प्रस्तुत निगरानी में प्रकरण वास्ते एडमिशन लम्बित होना एवं किसी प्रकार से पत्रावली की कार्यवाही बाबत् स्थगन नहीं होना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से प्रमाणित है, जिससे अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् कार्यवाही स्थगित सारहीन होने से खारीज किया जाता है।

इसके पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्ता की सहमति से प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 05 जा0दी0 पर कार्यवाही स्थगित की जाकर प्रकरण में बहस मूल सुनी गई। सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस पत्रावली में अपील मेमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है, ग्राम ओरडी में अवस्थित आराजी नंबर 139 किस्म रास्ता रेस्पोडेंट मनोहरसिंह का निजी रास्ता नहीं होकर 'आम रास्ता' है जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी नोटिस से होती है, आम रास्ता जो ग्राम ओरडी से ग्राम खोर में जाने का सार्वजनिक रास्ता है, आम रास्ते के अतिक्रमण को हटाने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत का है, तहसीलदार भूमिधारी का नही होते हुए भी मजबूरन उपखण्डअधिकारी चित्तौड़गढ़ के आदेश की अनुपालना में बेदखली का अवैधानिक आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

राजस्व रेकार्ड में विवादित आम रास्ता के हाल आराजी नंबर 139 का क्षेत्रफल 0.42 हैक्टेयर भू–प्रबंधीय त्रुटिवश अंकित किया है जबकि हाल आराजी नंबर 139 साबिक आराजी नंबर 95मी रकबा 16 बिस्वा से बनना प्रलिखित साक्ष्य मिलान खसरा से प्रमाणित है, दशमलव पद्धति में 16 बिस्वा का रकबा 0.1728 हैक्टेयर ही बनता है, लेकिन उसके स्थान पर 0.42 हैक्टेयर दर्ज कर दिया। इस प्रकार आम रास्ता 139 का साबिक के मुकाबले हाल क्षेत्रफल 0.25 हैक्टेयर अधिक अंकित किया है, आराजी नंबर 139 का बढ़ा हुआ रकबा अपीलार्थी की आराजी नंबर 132 एवं 140 में से कम करके रास्ते में जोड़ा गया है, उक्त भू–प्रबंधीय त्रुटि को दुरस्त करने हेतु उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में अपील के पक्षकारान के मध्य वादपत्र संख्या 172/2019 जैर कार्यवाही है, जिसमें पत्रावली वास्ते कायमी तनकियात हेतु नियत है, उक्त सभी दस्तावेजी साक्ष्य रेकार्ड पर होते हुए भी अधीनस्थ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय द्वारा अवैधानिक निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय रेकॉर्ड मौके की संपूर्ण जांच आधार पर दिया है जो निर्णय परफेक्ट होकर स्थिर रहने योग्य है। मान्यवर क्या यह घोषणा का दावा है? एवं क्या इस न्यायालय को इन्द्राज दुरूस्ती कराने की अपील पेश की जिसका की सक्षम न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत करना होता है, इस आधार पर चलने योग्य है? क्या अधीनस्थ न्यायालय में वर्तमान रेकॉर्ड अनुसार निर्णय दिया है इन सभी तथ्यों के आधार पर उक्त अपील यहाँ चलने योग्य ही नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट मनोहर सिंह वगैरह सात व्यक्तियों ने राजस्व शिविर प्रभारी चित्तौड़गढ़ कैंप जालमपुरा में लिखित रिपोर्ट दी कि मनोहरसिंह वगैराह के खेतों पर जाने का रेकार्डेड आम रास्ता ग्राम ओरड़ी पटवार हल्का जालमपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 139 रकबा 0.42 हैक्टेयर जो रेस्पोडेंट की आराजी संख्या 136 आ.चा. तक जाता है अपीलांट ने उस पर कच्ची दीवार बनाकर संकड़ा कर दिया जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली, मशीन, उराई, आर्वेस्टर, खांखला की ट्रक ट्राली आ जा नहीं सकते हैं, बड़ी भारी परेशानी हो रही है। सोयाबीन मक्का की फसल आदि खेत में ही निकालनी पड़ती है। जिससे आगे की फसल बुवाई में काफी देरी हो जाती है। पूर्व में भी श्रीमान् को जनसुनवाई दिनांक 12.05.2022 को प्रार्थना–पत्र दिया था जिसकी कोई कार्यवाही नहीं हुई, पुनः प्रार्थना–पत्र तुरंत कार्यवाही करने हेतु पेश है। ऐसी दरख्वास्त दिनांक 30.05.2022 को राजस्व शिविर कैंप जालमपुरा में प्रभारी एसडीओ चित्तौड़गढ़ को दी। उन्होंने तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को दिनांक 30.05.2022 को मार्क की तहसीलदार ने जांच रिपोर्ट बनाने हेतु आई.एल.आर. व पटवार हल्का जालमपुरा को उसी समय रिपोर्ट दी जिस पर दिनांक 31.05.2022 को उभयपक्ष के समक्ष कमिश्नर रिपोर्ट बनाई गई जिसमें विवादित आराजी संख्या 139 रकबा 0.42 हैक्टेयर आम रास्ते पर रेकार्डेड रास्ते पर अपीलांट का अतिक्रमण होना पाया गया। जिस पर दिनांक 06.06.2022 को अपीलांट को नोटिस दिनांक 09.06.2022 तक कब्जा हटाने हेतु दिया, फिर भी कब्जा नहीं हटाने पर दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 21.06.2022 को जो निर्णय आई0एल0आर0 व पटवार हल्का जालमपुरा को अतिक्रमण आम रास्ते से हटाने बाबत् दिया उक्त आदेश सही होकर परफेक्ट है। अतिक्रमी को रेकार्डेड आम रास्ता रोकने को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा राजस्व कैंप जनहितार्थ तुरंत जांच कर निर्णय प्रदान किया जाता है। जिसमें विधि सम्मत जांच करवाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया है। अपीलार्थी को अतिक्रमण का दोषी माना गया है। आम रास्ता है, किसी का व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए अतिक्रमण का अधिकारी अपीलांट नहीं होने से अतिक्रमण हटाने आम रास्ते बाबत् अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पुख्ता है। इस आधार पर भी अपीलार्थी की अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व लोक अदालत राजस्थान सरकार द्वारा रास्ते आदि के प्रकरण जो अत्यावश्यक प्रकृति के है जिससे आम जनता प्रभावित होती है व उस आम रास्ते जाने आने वाले को बाधा होती है इसलिए एसडीओ चित्तौड़गढ़ आदेश की पालना में जाँच कर सही कार्यवाही की गई है इसलिए क्षेत्राधिकार के अधीन निर्णय किया है। अपीलार्थीगण गलतफहमी में नहीं रहे, यह उनका स्वयं का रास्ता नहीं होकर आम रास्ता आराजी संख्या 139 रकबा 0.42 हैक्टेयर संपूर्ण रेकार्डेड आम रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व लोक अदालत में जो निर्णय किए जा सकते हैं, उसके अधीन उक्त निर्णय सही किया है, उक्त आदेश अधीनस्थ न्यायालय का विधि सम्मत है, इस आधार पर भी अपील निरस्त योग्य है।

आम रास्ता आराजी संख्या 139 रकबा 0.42 हैक्टेयर रेकार्डेड है। उक्त रकबा अपीलार्थी की आराजी संख्या 132 व 140 का भाग नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी के पिता हिम्मतसिंह पिता डुंगरसिंह राजपूत के पैमाईश पूर्व आराजी संख्या 208/20, 293/20 रकबा क्रमशः 6 बीघा 15 बिस्वा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा थे। सेटलमेंट बाद इनके दशमलव प्रमाणी से नए आराजी संख्या 130, 131, 132 रकबा क्रमशः 0.16, 0.22, 1.70 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.08 हैक्टेयर दर्ज किया जबकि 9 बीघा 1 बिस्वा के 1.95 हैक्टेयर रकबा ही दर्ज होना चाहिए 0.13 हैक्टेयर रकबा ज्यादा दर्ज कर दिया अर्थात् आराजी संख्या 132 में रकबा कम दर्ज नहीं होकर 0.13 हैक्टेयर रकबा बढ़ा हुआ है। इसी प्रकार नई आराजी संख्या 140 रकबा 1.11 हैक्टेयर जो पुराना आराजी संख्या 105, 106, 215/98 रकबा क्रमशः 2 बीघा 6 बिस्वा 2 बीघा 6 बिस्वा व 18 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा के नए बनते हैं, 1.19 हैक्टेयर 0.08 हैक्टेयर कम है जो उक्त आराजी संख्या 132 में 0.13 ज्यादा है। इस प्रकार फिर भी अपीलांट के 0.05 हैक्टेयर रकबा पुराने से नया ज्यादा दर्ज है इसलिए आराजी संख्या 139 रकबा 0.42 हैक्टेयर में अपीलांट की भूमि जाने का कथन पूर्णतया गलत है व रेकॉर्ड से विपरित है। इसके विपरित वास्तविकता यह है कि मोड़सिंह जी की पुरानी आराजी संख्या 305/209 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा थे जिसके नए नम्बर 133 रकबा 0.65 हैक्टेयर ही बने जबकि रकबा 1.13 हैक्टेयर बनना चाहिए 0.48 हैक्टेयर रकबा कम अंकित है जो ललितसिंह पिता मोड़सिंह के नाम अंकित है उसमें 0.48 मोडसिंह वाला रकबा उनके पुत्र के कम है जो आराजी संख्या 139 में मिला हुआ है और इसके अटैच है। इस प्रकार अपीलांट का तो कतई आराजी संख्या 139 में ज्यादा रकबा है ही नहीं। जहाँ तक वाद पत्र 172/2019 का कथन है, वाद–पत्र की नकल पेश है उसमें कहीं पर भी आराजी संख्या 139 रकबा 0.42 हैक्टेयर या उसके पुराने नम्बर या रकबा कहीं पर भी अंकन नहीं है न ही मांग की गई है। केवल मात्र न्यायालय को गुमराह करने के लिए आराजी संख्या 139 रकबा व वाद पत्र की आड़ लेकर आम रास्ता आराजी संख्या 139 रकबा 0.42 हैक्टेयर पर नाजायज अतिक्रमण कर आम रास्ता हटाने से अवरुद्ध कर रखा है जिसको रूकवाने का अपीलांट का कोई अधिकार नहीं है। इस आधार पर भी अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जहाँ तक अपीलांट व रेस्पोडेंट जिसके भी रकबा कम ज्यादा हुआ है उसकी यह कोर्ट प्रोपर नहीं है। जहाँ पर सक्षम न्यायालय हो वहां चारोजोही करें। परन्तु यहां तो सिर्फ रेकॉर्ड में दर्ज रकबा है उसी पर विचार किया जा सकता है। जिसके आधार पर भी उक्त अपील आधारहीन होने से अपील में अंकित कथनों के आधार पर भी उक्त अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाई जावे। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट आधारहीन बनावटी कथनों पर आधारित होने से इन्द्राज दुरूस्ती का वाद यहाँ नहीं चलने से वाद से संबंधित कथन अपील के संबंधित कथनों से अलग–अलग होने से यह अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय राजस्व अभियान में दरख्वास्त देने व उस पर प्रभारी अधिकारी के आदेश से उभयपक्ष के समक्ष रेकॉर्ड अनुसार सही जांच करने से अपीलांट का रेकार्डेड आम रास्ते के ग्राम ओरड़ी की आराजी संख्या 139 रकबा 0.42 हैक्टेयर के भाग पर अतिक्रमण होना पाया गया उसको हटाने हेतु जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया, उक्त आदेश ठोस आधार पर होने से यथावत् रखा जावें आम रास्ते से अतिक्रमण हटाया जावें व अपीलांट की अपील सारहीन होने से मय हैवी कोस्ट पर खारिज फरमाई जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड अनुसार निर्णय पारित किया गया है, अतः प्रकरण को निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने हेतु अनुरोध किया एवं अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने बताया कि अपीलार्थीगण द्वारा भौतिक रूप से अपने खेतों आराजी नंबर 132 एवं 140 की फसली सुरक्षार्थ आम रास्ते के समानांतर रास्ते के साबिक रकबे 16 बिस्वा को यथावत रखकर भू–प्रबंधीय कार्यवाही से पूर्व ही पक्की पत्थर की दिवार पुर्वी दिशा में बना रखी है जिसको अर्सा 40 वर्ष व्यतीत हो चुके है, रेस्पोडेंट विधिक रूप से पश्चात् वृत्ति जायज फसली सुरक्षार्थ किये गए निर्माण को हटाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय से पारित कराने में वैधानिक त्रुटि की है। रेस्पोडेंट संख्या 1 झुठी रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन प्रस्तुति दिनांक को ही मौके पर्चा कायमी का आदेश पारित किया जिस पर पटवारी हल्का व गिरदावर ने मौके पर जाकर मौतबीरों की अनुपस्थिति में पर्चा मौका कायम किया जिसमें स्पष्ट तौर पर मौके पर रास्ता चालु होकर 12 फीट चौड़ा होना अंकित किया है लेकिन रकबा रास्ते का अधिक हो जाने से रेस्पोडेंट अपीलार्थीगण को नुकसान पहुंचाने के उद्धेश्यसे रेकार्ड के अनुरूप रास्ता चौडा कराना चाहता है जिसका रेस्पोडेंट को कोई अधिकार नही होने से अपील स्वीकार की जावें।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने द्वारा पारित निर्णय में अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज लिखित बहस में जो उजरात पेश किये उनका कोई विवेचन नही कर वैधानिक त्रुटि की है जिससे अपील स्वीकार की जावे। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/ परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – ''**क्या अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 001/2022 निर्णय दिनांक 21.06.2022 में किसी प्रकार से विधिक भूल/त्रुटि कारित की गई है?, यदि हॉ तो उचित निर्णय क्या होगा?**''

हमने पत्रावली का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। सर्वप्रथम अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 21.06.2022 के संबंध में क्षेत्राधिकारिता का प्रश्न उठाया गया है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अध्याय 16 की धारा 251 की उपधारा 1 में प्रावधित किया गया है कि उस अवस्था में जब कोई भूमिधारी जो वस्तुतः रास्ते के अधिकार, या अन्य सुखाचार या अधिकार का उपयोग कर रहा हो, अपने ऐसे उपयोग में बिना उसकी सहमति के, कानून द्वारा निर्धारित प्रणाली के भिन्न तरीके से, बाधित किया जाये, तहसीलदार, इस प्रकार बाधित भूमिधारी के प्रार्थना–पत्र पर, तथा उक्त उपयोग एवं बाधा के विषय में सरसरी जांच करने के पश्चात् बाधा को हटाये जाने की अथवा बन्द किये जाने की और प्रार्थी भूमिधारी को पुनः उपयोग करने देने की आज्ञा दे सकेगा, चाहे इस प्रकार पुनः उपयोग किये जाने के खिलाफ तहसीलदार के समक्ष अन्य कोई हक स्थापित किया जाये। इस प्रकार तहसीलदार को उक्त प्रकरण की सुनवाई/सरसरी जांच की क्षेत्राधिकारिता पूर्ण रूप से प्राप्त रही है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.06.2022 मौजा ओरडी तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 139 रकबा 0.42 हैक्टेयर किस्म बिलानाम रास्ता के बाबत् अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसे उभयपक्षकारा द्वारा स्वीकार किया गया है। हस्तगत प्रकरण में मुख्य तथ्य है कि हाल आराजी संख्या 139 रकबा 0.42 हैक्टेयर किस्म भूमि बिलानाम रास्ता दर्ज रेकार्ड है। इसके संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा अवगत कराया गया है कि मौजा ओरडी भू–प्रबंध से साबिक आराजी संख्या 95 मीन रकबा 16 बिस्वा से हाल आराजी संख्या 139 रकबा 0.42 हैक्टेयर कायम की गई है एवं साबिक आराजी संख्या 95 मीन रकबा 16 बिस्वा का दशमलव प्रणाली से नवीन रकबा 0.1728 हैक्टेयर बनाना चाहिये जबकि नवीन रकबा 0.42 हैक्टेयर कायम किया गया है। इस प्रकार साबिक आराजी संख्या 95 मीन रकबा 16 बिस्वा का क्षेत्रफल भू–प्रबंध के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पश्चात् 0.25 हैक्टेयर अधिक कायम किया गया है एवं उक्त अधिक 0.25 हैक्टेयर के रकबा अपीलार्थीगण के आराजीयात के रकबे को कम करके हाल आराजी संख्या 139 में सम्मिलित किया गया है, इस बाबत् अपीलार्थीगण द्वारा सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष इन्द्राज दुरूस्ती हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है जो कि जैरकार है। इस संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ के समक्ष वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया है, किन्तु उक्त वाद पत्र में अपीलार्थीगण द्वारा आराजी संख्या 95 मीन का कही वर्णन नहीं किया गया है, तथा आराजी संख्या 95 मीन रकबा 16 बिस्वा के भू–प्रबंध से बढे हुये रकबे 0.25 हैक्टेयर के संबंध में दीगर व्यक्ति के साबिक रकबे के मुकाबले कम होना अवगत कराया गया है एवं अपीलार्थीगण के साबिक रकबे के मुकाबले हाल रकबा 0.05 हैक्टेयर अधिक दर्ज होना अवगत कराया गया है।

इस प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा अपने अपील मेमों एवं लिखित बहस के माध्यम से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उठाया गया है कि साबिक आराजी संख्या 95 मीन रकबा 16 बिस्वा के भू–प्रबंध से कायम की गई नवीन आराजी संख्या 139 रकबा 0.42 हैक्टैयर में साबिक के मुकाबले हाल रकबा में रकबा की बढोतरी (बेशी) हुई है। अपीलार्थीगण द्वारा अपने अपील मेमों एवं लिखित बहस में जो तथ्य उठाये गये है उन तथ्यों का सीधा संबंध इन्द्राज दुस्स्ती से है, जिसका विवेचन एवं विश्लेषण हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में किया जाना समीचीन नहीं होगा, इन्द्राज दुरूस्ती के तथ्यों को सक्षम न्यायालय द्वारा विस्तृत वाद–विचारण से ही तय किया जा सकता है, इस संबंध में उभयपक्ष के मध्य में वाद सक्षम न्यायालय में लम्बित है जिसे उभयपक्ष ने स्वीकार किया गया है। भू–प्रबंध से साबिक के मुकाबले हाल रकबे में कमीबेशी के संबंध में छिद्रान्वेण किया जाना हस्तगत अपील में उचित नहीं है तथा यह हस्तगत अपील का मुख्य विषय नहीं है। हस्तगत अपील को परीक्षण अपीलाधीन निर्णय के परिपेक्ष्य में ही किया जाना उचित होगा।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रकरण का परीक्षण किये जाने की क्षेत्राधिकारिता है एवं प्रकरण के निस्तारण हेतु वर्तमान राजस्व रेकार्ड ही अधिभावी होगा। साबिक के मुकाबले हाल रेकार्ड में कमीबेशी का परीक्षण किये जाने की क्षेत्राधिकारिता सक्षम न्यायालय को प्राप्त है एवं पक्षकारान के मध्य इस संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद लम्बित है जो कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.05.2022 से पूर्व से ही वर्ष 2019 से लम्बित होना उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2022 के पृष्ठ संख्या 1 के प्रथम पैरा तृतीय पक्ति में अंकित किया गया है कि ‘‘**पत्रावली में शामिल राजस्व रिकार्ड अनुसार वर्तमान आ.नं. 139 रकबा 0.42 हैक्टे. रास्ता दर्ज रिकार्ड है एवं उक्त रास्ते की भूमि पर श्री गजराजसिंह पिता हिम्मतसिंह पर्वतसिंह पिता हिम्मतसिंह, गोविन्दसिंह पिता हिम्मतसिंह निवासी ओरडी द्वारा अतिक्रमण कर रखा है।**’’ इससे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय के समक्ष यह प्रतिवेदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार मौजा ओरडी की आराजी संख्या 139 रकबा 0.42 हैक्टेयर किस्म भूमि रास्ता अंकित है, एवं इस तथ्य को उभयपक्षकारान द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2022 में किसी भी प्रकार की त्रुटि/विधिक भूल कारित होना साबित कराये जाने में पूर्णतया असफल रहे है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को आराजीयात जैरबहस आराजी संख्या 139 रकबा 0.42 हैक्टेयर बाबत् अतिक्रमी करार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित हस्तगत अपीलाधीन प्रकरण का गुणावगुण पर नियमानुसार निर्णय पारित किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात से प्रतीत होता है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.06.2022 विधि सम्मत होकर इसमे किसी प्रकार के संशोधन एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है, एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.06.2022 संपुष्ट किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर हस्तगत अपील अपीलार्थीगण अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को सारहीन एवं बलहीन होने से खारीज किया जाता है एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 001/2022 प्रा0प0 अनवानी मनोहरसिंह बनाम गोविन्दसिंह वगैराह अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2022 को यथावत रखा जाता है, तथा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 27.06.2022 से जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के पालनार्थ भिजवाया जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **23.10.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official